न्यायालय उपखण्डाधिकारी,सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 697/2019

प्रमिला पत्नी धीरज कुमार जाति जाट निवासी चक फतेहसिंहवाला (बादल चक) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

वादीया

बनाम

1 मनोज कुमार पुत्र जगदीश राम जाति जाट निवासी ढ़ाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

2 तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1	श्री जगनन्दन सिंह अधिवक्ता	वादीया
2	श्री अमित चावला अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3	राजपैरोकार स्टेट	प्रतिवादी संख्या 2

निर्णय दिनांक: 3.1.2020

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए के तहत् इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि पक्षकार हिन्दु धर्म व हिन्दू ला के मिताक्षरा स्कूल से शासित है। प्रत्येक पुत्र पुत्री का जदी जायदाद कोपार्सनरी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में जन्म से हक व अधिकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है और आपस में रक्त संबंध है। चक 5 बीएनडब्लू खाता संख्या 59/23 के मु0न0 2 कि0न0 4 ता 9, 11 ता 25 में 4.667 हैक्टर, मु0न0 3 कि0न0 13 ता 25 में 2.606 हैक्टर, मु.नं. 4 किला नं. 23 ता 25 में 0.544 हैक्टर, मु.नं. 10 किला नं. 1 ता 5 में 1.189 हैक्टर नहरी बारानी, मु0न0 11 किला नं. 1 ता 10 सालम मु0न0 12 किला नं. 1 ता 8, 13 ता 15 सालम कुल किता 63 कुल क्षेत्रफल 14.319 हैक्टर नहरी बारानी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कुल खाते की 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 5 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 59/23 में दर्ज 1/3 हिस्सा मुताबिक बंटवारा वादीया को प्राप्त हुई है मुताबिक बंटवारा उक्त आराजी वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीया मुताबिक बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार खातेदार प्राप्त करने के हक व अधिकारी है। उक्त आराजी वादीया के मामा प्रतिवादी संख्या 1 वादीया के नाना से प्राप्त हुई है जो मुताबिक बंटवारा वादीया के माता के हक व हिस्सा में आयी थी। आराजी राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बंटवारानुसार दर्ज रिकार्ड नही होने के कारण वादीया को काफी परेशानियों पानी की बारी, रकम अदायगी, बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का सामना करना पड़ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

है, एवं आराज़ी संयुक्त खाता मे दर्ज रहने के कारण वादीया अपने हक व हिस्सा की आराजी पर मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ व असहाय महसूस करती है जिस कारण वादीया की मंद संख्या 4 में दर्ज आराजी अपने हक व हिस्सा की कब्जा काश्त आराजी कीघोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादीया ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि वे लोग सहमति के आधार पर वादीगण के हक व हिस्सा की आराजी को राजस्व रिकार्ड में वादिया के नाम दर्ज करवा देगें। पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 03.08.2019 को बमुकाम फतेहसिंहवाला में स्पष्ट रूप से ईनकार हो गये और वादीया को ऐलानिया धमकी दी कि हम तो तुम्हारे साथ हुये बंटवारा को नही मानते और ना ही तुम्हारें नाम उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करवाया है। तुमसे जो होता है कर लो,। वादीया के हक व हिस्सा की आराजी पर पूर्व में वादीया ने काफी रूपया पैसा खर्च करके समतल व उपजाऊ बनाया है एवं आराजी को काश्त योग्य बनाया है अतः अब उक्त आराजी वादिया के नाम खाता मे दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियति पैदा हो गयी है और प्रतिवादीगण खाता की आड़ में वादीया को उसके हक व हिस्सा की आराजी से जबरन बेदखल करने की फिराक में है अगर प्रतिवादीगण अपने इस आशय मे कामयाब हो जाते है तो वादीया को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नही हो सकेगी। प्रतिवादीगण वादीया के हक व हिस्सा की आराजी का वादीया व के मध्य बंटवारा को मानने से ईन्कार कर रहे है जिसमें उक्त प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नही बनता है एवं शेष प्रतिवादीगण भी उक्त प्रतिवादीगण का सहयोग कर रहे है इस कारण वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादाधीन चक 5 बीएनडब्लू के खाता संख्या 59/23 में दर्ज 14.319 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा आराजी में वादीया की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे। इस बाबत वादीया का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी बनता है एव सुविधा का सन्तुलन भी वादीया के पक्ष में है। अत– वाद वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि इस आशय की घोषणा कि चक 5 बीएनडब्लू खाता संख्या 59/23 के मु0न0 2 कि0न0 4 ता 9, 11 ता 25 में 4.667 हैक्टर, मु0न0 3 कि0न0 13 ता 25 में 2.606 हैक्टर, मु.नं. 4 किला नं. 23 ता 25 में 0.544 हैक्टर, मु.नं. 10 किला नं. 1 ता 5 में 1.189 हैक्टर नहरी बारानी, मु0न0 11 किला नं. 1 ता 10 सालम मु0न0 12, किला नं. 1 ता 8, 13 ता 15 सालम कुल किता 63 कुल क्षेत्रफल 14.319 हैक्टर नहरी बारानी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल खाते की 1/3 हिस्सा आराजी का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त आराजी वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे। इस हद तक प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ईकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादीया में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

उभय पक्षकारण अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी कि वादिया प्रतिवादी सं0 1 मनोज की बहिन की पुत्री है। प्रतिवादी की और से इकबाल दावा पेश हो चुका है। दौराने बहस वकील वादीया ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने वादीया के तथ्यो को स्वीकार किया एवं वादपत्र स्वीकार किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं जताया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि उक्त आराजी वादीया के मामा प्रतिवादी संख्या 1 वादीया के नाना से प्राप्त हुई है जो मुताबिक बंटवारा वादीया के माता के हक व हिस्सा में आयी थी। वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा होने की हैसियत से घोषणा का चाहा गया है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया के कथनो पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये ईकबालदावा पेश किया है एव वादीया के कथनों में अपनी सहमति प्रदान की है व वादीया की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, इस प्रकार वादीया ने अपना दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, ईकबालदावा के कथनो एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 5 बीएनडब्लू खाता संख्या 59/23 के मु0न0 2 कि0न0 4 ता 9, 11 ता 25 में 4.667 हैक्टर, मु0न0 3 कि0न0 13 ता 25 में 2.606 हैक्टर, मु.नं. 4 किला नं. 23 ता 25 में 0.544 हैक्टर, मु.नं. 10 किला नं. 1 ता 5 में 1.189 हैक्टर नहरी बारानी, मु0न0 11 किला नं. 1 ता 10 सालम मु0न0 12 किला नं. 1 ता 8, 13 ता 15 सालम कुल किता 63 कुल क्षेत्रफल 14.319 हैक्टर नहरी बारानी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 4. 773 है. आराजी की वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है , उक्तानूसार ही वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

Scanned by CamScanner

संख्याक –01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़धिकारी, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 697/2019

प्रमिला पत्नी धीरज कुमार जाति जाट निवासी चक फतेहसिंहवाला (बादल चक) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

वादीया

बनाम

1 मनोज कुमार पुत्र जगदीश राम जाति जाट निवासी ढ़ाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

2 तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगनन्दन सिंह वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री अमित चावला अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि. चक 5 बीएनडब्लू खाता संख्या 59/23 के मु0न0 2 कि0न0 4 ता 9, 11 ता 25 में 4.667 हैक्टर, मु0न0 3 कि0न0 13 ता 25 में 2.606 हैक्टर, मु.नं. 4 किला नं. 23 ता 25 में 0.544 हैक्टर, मु.नं. 10 किला नं. 1 ता 5 में 1.189 हैक्टर नहरी बारानी, मु0न0 11 किला नं. 1 ता 10 सालम मु0नं0 12 किला नं. 1 ता 8, 13 ता 15 सालम कुल किता 63 कुल क्षेत्रफल 14.319 हैक्टर नहरी बारानी मय गैर मुमकिन रास्ता खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 4.773 है. आराजी की वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है, उक्तानूसार ही वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा में आज दिनांक 3.1.2020 को जारी की गई।

3.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

सादुलशहर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 16:34:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: